कार्यालय वन सरंक्षक, आगारा वृत्त, आगरा

पत्रांकः 648 / 14–1 / दिनांकः आगराः ~~अगस्त,~~ 5/9/ 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी

उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः फिरोजाबाद में टूण्डला–एटा मार्ग (एस0एच0–31) किमी0 चैनेज 5.718 की बाई पटरी पर ग्राम कोटकी के खसरा सं0 238 में बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075028 है0 सरंक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पतन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः आपके पत्रांक – 2607 / फिरोजाबाद / 18196 / 2016 / यू0पी0–95, दिनांक 06.06.2016 एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिकी वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद के पत्रांक 312 / 14–1 दिनांक 19.08.2016।

महोदय,

आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का उत्तर प्रभागीय निदेशक, फिरोजाबाद से माँगा गया, जिसे उनके सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	शर्त	शर्त का अनुपालन
1.	संदर्भित पत्र एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 19.01.2016 में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.0286 है0 अंकित है जबकि ऑन लाइन क्षेत्रफल 0.075028 है0 अंकित है।	क्षेत्रीय, वन अधिकारी, टूण्डला की रिपोर्ट को संशोधित कर क्षेत्रफल 0.075028 है0 अंकित कर दिया गया है। रिपोर्ट पेज नं0 15C पर संलग्न हैं।
2.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ पेज सं0–15 पर संलग्न है।
3.	प्रस्तावित वन भूमि की गणना पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। बिन्दु–1 के आलोक में सुसंगत क्षेत्रफल अंकित नहीं है।	प्रस्तावित वन भूमि की गणना प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। रिपोर्ट पेज सं0–17 पर संलग्न है।
4.	संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने वाले गजट के मुख्य पृष्ठ की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गई हैं सत्यापित प्रति संलग्न करें।	संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने वाले गजट के मुख्य पृष्ठ की सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई है, जो पेज सं0–18 व 19 पर संलग्न है।
5.	मानक शर्तों के मान्य होने के शासनादेश पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी की सक्षम अधिकारी के मूल हस्ताक्षर व सील अंकित नहीं है।	मानक शर्तों के मान्य होने के शासनादेश पर प्रयोक्ता ऐजेंसी के सक्षम अधिकारी के सील सहित मूल हस्ताक्षर करा दिये गये हैं जो पेज सं0 26 व 27 पर संलग्न है।
6.	क्षतिपूरक वनीकरण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं है 100 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें। संलग्न प्राक्कलन की धनिराश अधिक प्रतीत हो रही है।	क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षो तक अनुरक्षण सहित संशोधित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर दिया गया है जो पेज सं0 28 से 32 पर संलग्न है।
7.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को 1:5000	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को

	स्केल के रंगीन टोपोशीट पर चिन्हित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।	1:5000 स्केल के रंगीन टोपोशीट पर चिन्हित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई है जो पेज सं0–35 पर संलग्न है।
8.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का भू–संदर्भित डिजीटल मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। सी0डी0 सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का भू–संदर्भित डिजीटल मैप प्रस्ताव के साथ सी0डी0 सहित संलग्न है जो पेज सं0 33 पर संलग्न है।
9.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारुप में नहीं है।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारुप में तैयार कर पेज सं0 34 पर संलग्न है।
10.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा दी गई वचनवद्धता पर सक्षम अधिकारी के मूल हस्ताक्षर व सील अंकित नहीं है तथा प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं हे।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा दी गई वचनबद्धता पर सक्षम अधिकारी के सील सहित मूल हस्ताक्षर कर दिये गये हैं तथा प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करा दी गई है जो पेज सं0 36 पर संलग्न है।
11.	एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा दी गई वचनबद्धता पर सक्षम अधिकारी के मूल हस्ताक्षर व सील अंकित नहीं है तथा प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा दी गई वचनबद्धता पर सक्षम अधिकारी के सील सहित मूल हस्ताक्षर कर दिये गये हैं तथा प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दी गई है। जो पेज सं0 37 पर संलग्न है।
12.	चिन्हित वन स्वरुप भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र के बिन्दु–1 के आलोक में सुसंगल क्षेत्रफल अंकित करने का कष्ट करें।	चिन्हित वन स्वरुप भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र बिन्दु–1 के आलोक में सुसंगल क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है जो पेज सं0 38 पर संलग्न है।
13.	लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।	लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर करा दिये गये हैं जो पेज सं0 41 पर संलग्न है।
14.	मक डिस्पोजल योजना संलग्न नहीं है। निर्धारित प्रारुप में प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मक डिस्पोजल योजना संलग्न करें।	निर्धारित प्रारुप में प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मक डिस्पोजल योजना पेज सं0 42 पर संलग्न है।
15.	उपरोक्त बिन्दु 1 के आलोक में वनाधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र पर सुसंगत क्षेत्रफल अंकित कराकर मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र पर सुसंगत क्षेत्रफल अंकित कराकर मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ पेज सं0 43 पर संलग्न है।
16.	उपरोक्त बिन्दु 1 के आलोक में परियोजना के 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंचुरी/वन्यजीव विहार न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र पर सुसंगत क्षेत्रफल अंकित करने का कष्ट करें।	परियोजना के 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंचेुरी/वन्यजीव विहार न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र पर सुसंगत क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है तथा प्रमाण–पत्र पेज सं0 56 पर संलग्न है।
17.	प्रयोक्ता ऐजेंसी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटार्नी संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता ऐजेंसी की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटार्नी संलग्न कर दी गई है जो पेज सं0 46 से 55 पर

		संलग्न हे।
18.	ऑन लाइन पार्ट–3 की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के ऑनलाइन पार्ट–3 की प्रति संलग्न है जो पेज सं0 12 पर संलग्न है।
19.	ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु ए–1(9) में गैरवनभूमि का क्षेत्रफल अंकित नहीं है।	प्रस्ताव के ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु ए–1(9) में गैरवन भूमि का संशोधित क्षेत्रफल हार्ड कॉपी पर अंकित कर दिया गया है तथा ऑन लाइन संशोधित किया जाना संभव नहीं है।
20.	ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–5 तथा 7 की सूचना सुसंगत नहीं हे।	प्रस्ताव के ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–5 तथा 7 की सूचना संशोधित कर दी गई है।
21.	प्रस्ताव के साथ छायाप्रति के रुप में संलग्न अभिलेखों को सत्यापित कर पृष्ठ संख्या अंकित कर विषय सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्ताव के साथ छायाप्रति के रुप में संलग्न अभिलेखों को सत्यापित कर पृष्ठ संख्या अंकित कर विषय सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गई है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विष्णु सिंह)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा

पत्रांक: 648 / 14–1 / दिनांकित।

1. प्रतिलिपि: टेरीटरी मैनेजर, भारत पेट्रोलियम प्रा0लि0, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 मथुरा टेरीटरी, मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित –
2. प्रतिलिपि - प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(विष्णु सिंह)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा

Recieved